बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

(17)

अधिसूचना

संख्याः–प्र02 / BSPHCL विविध–29 / 2013(खंड)– 03 पटना, दिनांकः– 27/06/19

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–6842 दिनांक–22.05.2019 द्वारा डॉ0 रतन किशोर तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जमुई की सेवाएँ बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना के अधीन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) के पद पर दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऊर्जा विभाग को अगले आदेश तक सौंपी गई है।

विद्युत अधीनियम, 2003 की धारा–135–141 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई हेतु, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अधीन तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फपुर के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (2) के अधीन डॉ0 रतन किशोर तिवारी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/6/19

सरकार के संयुक्त सचिव।